न्यूज़ टुडे

'राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति फ्रेमवर्क' का ड्राफ्ट जारी किया गया

इसे **फैज अहमद किदवई** की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है।

- इसका उद्देश्य देश में एक **सक्षम कृषि विपणन इकोसिस्टम का निर्माण** करना है। इससे सभी श्रेणियों के किसानों को अपनी पसंद के बाजार तक पहुंच प्राप्त करके अपनी उपज का **सर्वोत्तम मूल्य हासिल करने में मदद** मिलेगी।

इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अधिकार प्राप्त कृषि विपणन सुधार समिति का गठन करना:** इसमें राज्य कृषि मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच आम सहमति बनाते हुए एकल लाइसेंसिंग/ पंजीकरण प्रणाली और एकल शुल्क के माध्यम से कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की दिशा में आगे बढ़ना है।
  - GST पर अधिकार प्राप्त समिति की तरह, इसकी अध्यक्षता **राज्यों के कृषि मंत्रियों द्वारा बारी-बारी** से की जा सकती है।
- **किसान और बाजार के मध्य संपर्क को सुधारना:** आवश्यकता के आधार पर काफी संख्या में गोदामों/ कोल्ड स्टोरेज को **सब-मार्केट यार्ड्स** के रूप में घोषित किया जाएगा। साथ ही, **कृषि उपज बाजार समिति (APMC) बाजारों से परे भी ई-नाम (eNAM) का विस्तार और समेकन किया जाएगा।** उदाहरण के लिए सब-मार्केट यार्ड्स तक विस्तार किया जाएगा।
- **कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) में सुधार करना:** APMCs को अपनी आय में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए APMCs को अत्यधिक बाजार शुल्क और अलग-अलग नाम से अन्य शुल्क/ उपकर लगाने की बजाय **नई कृषि उपज को अधिसूचित करना चाहिए; खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा** देना चाहिए आदि।
- **अन्य:**
  - **निजी क्षेत्रक की भागीदारी के साथ AI, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग करके मूल्य श्रृंखला केंद्रित बुनियादी ढांचे को मजबूत** किया जाएगा।
  - किसानों को बुवाई के समय ही सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए **मूल्य बीमा योजना** शुरू की जाएगी।
  - **कृषि मंडी की प्रक्रियाओं का डिजिटल स्वचालन** करके तथा व्यापारियों, निजी कृषि मंडी संचालकों आदि को डिजिटल रूप से लाइसेंस/ पंजीकरण प्रदान करके **कृषि आधारित व्यापार को सुगम बनाया** जाएगा।

भारत में कृषि विपणन

- संविधान के **अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 28 के अंतर्गत कृषि विपणन राज्य सूची** का विषय है।
- **चुनौतियां:** इसमें बिखरी हुई एवं अकुशल आपूर्ति श्रृंखला, अपर्याप्त बाजार पहुंच, खराब बुनियादी संरचना, जटिल विनियम आदि शामिल हैं।
- **इस संबंध में शुरू की गई पहलें:**
  - 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने और उन्हें बढ़ावा देने संबंधी पहल शुरू की गई है;
  - कृषि अवसंरचना कोष; कृषि विपणन अवसंरचना; ग्रामीण कृषि बाजार आदि से संबंधित पहलें आरंभ की गई हैं।

सरकार ने GDP की गणना हेतु आधार वर्ष को 2011-12 के स्थान पर 2022-23 करने का निर्णय लिया

इस संबंध में **बिस्वनाथ गोल्डार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) पर 26 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन** किया गया है। इसका उद्देश्य **NAS के संकलन के लिए कार्यप्रणाली को बेहतर एवं सुसंगत बनाना और नए डेटा स्रोतों की पहचान करना है।**

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office) **प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रकाशित** करता है। इसमें अलग-अलग दृष्टिकोणों से GDP के अनुमान शामिल होते हैं।

आधार वर्ष क्या होता है?

- आधार वर्ष **GDP की गणना** के लिए उपयोग किया जाने वाला एक **बेंचमार्क है।** इसके तहत **मुद्रास्फीति के प्रभावों को हटाकर समय के साथ आर्थिक संवृद्धि की तुलना** की जाती है।

आधार वर्ष में बदलाव करने की आवश्यकता क्यों हैं?

- **नए डेटा स्रोत शामिल करना:** 2011-12 के बाद से डिजिटलीकरण और अलग-अलग क्षेत्रकों में विकास के कारण समय के साथ तेजी से बदलते बेहतर डेटा की उपलब्धता में सुधार हुआ है।
  - इसके शामिल होने से **GDP की गणना की सटीकता में सुधार** होगा।
- **संरचनात्मक बदलावों को शामिल करना:** नया आधार वर्ष पिछले दशक की तुलना में उपभोग पैटर्न, **अलग-अलग क्षेत्रकों के योगदान और उभरते हुए क्षेत्रकों के समावेशन में आए बदलावों** को दर्शाएगा।
  - जनवरी 2015 में अपनाया गया **आधार वर्ष 2011-12** वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के लिए अप्रासंगिक बन गया है।
- **अन्य:** इससे **वैश्विक महामारी के बाद की आर्थिक गतिशीलता में आए बदलावों को शामिल करना** और वैश्विक स्तर पर तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना सुनिश्चित होगा।

इसके निम्नलिखित प्रभाव होंगे

- इससे **विकास संबंधी अनुमानों में संशोधन** हो सकता है;
- इससे भारत की आर्थिक गतिविधि का अधिक सटीक आकलन किया जा सकेगा। साथ ही, **नीति निर्माण में सहायता और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि** आदि देखने को मिल सकती है।

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 लोक सभा में पेश किया गया

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- तटीय पोत परिवहन को नियंत्रित करने वाले **कानूनों को एकीकृत और संशोधित करना** तथा इनमें **एकरूपता** लाना;
- तटीय **व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा** देना; तथा
- तटीय पोत परिवहन में **घरेलू हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित** करना।

भारत में तटीय पोत परिवहन का महत्त्व

- भारत की **तटरेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी** है। साथ ही, भारत की तटरेखाएं महत्वपूर्ण **वैश्विक पोत परिवहन मार्गों के निकट** हैं। ऐसे में भारत में तटीय पोत परिवहन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **तटीय व्यापार पर प्रतिबंध:** भारतीय जहाजों को छोड़कर अन्य जहाजों द्वारा बिना लाइसेंस के भारत के तटीय जल में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
  - भारत के **अंतर्देशीय जहाजों को तटीय व्यापार में शामिल होने की अनुमति** होगी।
- **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना:** इसका उद्देश्य तटीय पोत परिवहन का विकास, संवृद्धि एवं संवर्धन करना होगा।
- **राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डेटाबेस का निर्माण:** यह डेटाबेस प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और सूचना को साझा करने में सहायता प्रदान करेगा।
- **चार्टर्ड जहाजों को लाइसेंस:** तटीय व्यापार के लिए **लाइसेंस जारी करने का अधिकार महानिदेशक** को दिया गया है। वह लाइसेंस जारी करते समय जहाज के चालक दल की नागरिकता और जहाज की निर्माण आवश्यकताओं जैसी कुछ शर्तों को ध्यान में रखेगा।
  - **लाइसेंसधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उसके लाइसेंस को न तो निलंबित या निरस्त किया जाएगा और न ही उसमें संशोधन** किया जाएगा।
- **अन्य प्रावधान:**
  - कुछ प्रकार के अपराधों में **कम्पाउंडिंग यानी सुलह करने की अनुमति** दी गई है;
  - मुख्य अधिकारी द्वारा **पेनल्टी लगाने का प्रावधान** किया गया है;
  - कुछ मामलों के संबंध में **महानिदेशक को सूचना मांगने का अधिकार** दिया गया है।

भारत में तटीय पोत परिवहन उद्योग के बारे में

- भारत के प्रादेशिक जल के भीतर समुद्र तट से होकर **वस्तुओं और यात्रियों की आवाजाही को तटीय पोत परिवहन** कहा जाता है।
  - भारत का प्रादेशिक जल, उसकी **बेसलाइन से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील** तक विस्तृत है।
- **भारत में तटीय पोत परिवहन का विनियमन:**
  - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत **नौवहन महानिदेशालय** भारत में **तटीय पोत परिवहन का प्राथमिक विनियामक प्राधिकरण** है।
  - **तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone)** के नियम भारत के तटीय क्षेत्रों में अलग-अलग गतिविधियों की अनुमति देते हैं या प्रतिबंधित करते हैं।
- **भारत की कैबोटेज नीति:** इस नीति के तहत भारत के प्रादेशिक जल के भीतर वस्तु परिवहन के लिए विदेशी ध्वज वाले जहाजों का संचालन प्रतिबंधित है।
- **टैरिफ और शुल्क: महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (TAMP)** तटीय पोत परिवहन में शामिल महापत्तनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए टैरिफ और शुल्क को नियंत्रित करता है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत में तटीय कटाव (अपरदन) के मुद्दे पर प्रकाश डाला

भारत की **7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा (भूमि और समुद्र के बीच प्राकृतिक बफर)** अब बढ़ते व्यवधानों का सामना कर रही है। इससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

भारत में तटीय कटाव की स्थिति:

- **राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR)** के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग भारतीय तट के **33.6% भाग का क्षरण हो रहा है, 26.9% हिस्से का विस्तार हो रहा है तथा 39.5% हिस्सा स्थिर** अवस्था में है।
  - राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि **40% से अधिक तटीय कटाव चार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** में हो रहा है। इनमें शामिल हैं- **पश्चिम बंगाल (63%), पुडुचेरी (57%), केरल (45%) और तमिलनाडु (41%)**

तटीय कटाव के बारे में:

- इसके तहत समुद्र की लहरें तटीय **चट्टानों को खंडित कर अपने साथ बहा** ले जाती हैं। प्रचंड तरंगों द्वारा तट का क्षरण चार मुख्य प्रक्रियाओं अर्थात **हाइड्रोलिक क्रिया, संपीड़न, अपघर्षण और संनिघर्षण** के माध्यम से होता है।
  - इस दौरान बनी अपरदनात्मक भू-आकृतियों में **क्लिफ, वेदिका, गुफाएं, स्टैक, मेहराब और स्टंप** शामिल हैं।

तटीय कटाव के लिए जिम्मेदार कारक:

- **प्राकृतिक कारक:** इसमें समुद्र जल का बढ़ता स्तर; मैंग्रोव का विनाश; चक्रवाती गतिविधियां; तथा लहरों, पवनों, ज्वार-भाटे, तटीय धाराओं, तूफान आदि की क्रियाएं शामिल हैं।
- **मानव जनित कारक:** इसमें अनियमित बालू खनन और बंदरगाहों आदि का निर्माण; ज्वारीय प्रवेश मार्ग और पोत परिवहन मार्गों की ड्रेजिंग करना; बांध बनाना आदि शामिल हैं।

तटीय कटाव को रोकने के लिए संभावित नवीन समाधान:

- समुदाय संचालित संरक्षण कार्यक्रम संचालित करने चाहिए। साथ ही, AI का उपयोग करके रियाल टाइम में कटाव की निगरानी करनी चाहिए।
- प्रकृति आधारित पद्धतियां अपनानी चाहिए। इनमें जलवायु अनुकूल तरीके से तटों (Beach) पर अधिक रेत डालना, मैंग्रोव का पुनरुद्धार करना आदि शामिल हैं।
- तटीय प्रबंधन योजनाओं को तटीय कटाव के स्थानीय और क्षेत्रीय कारकों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए।

तटीय कटाव से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- राज्यों द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), 2019 के अनुसार **तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार** की गई है।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019 में** भारत के समुद्र तट को अतिक्रमण और कटाव से बचाने के लिए **नो डेवलपमेंट जोन** (NDZ) का भी प्रावधान किया गया है।
- **विश्व बैंक द्वारा K-SHORE परियोजना** चलाई जा रही है।
- **तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (Coastal Management Information System)** अपनाई गई है।

आयुष मंत्रालय के गठन को 10 साल पूरे हुए

आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में किया गया था। इसे हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था।

- 1995 में भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग का गठन किया गया था। 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया था। 2014 में इसे आयुष मंत्रालय का नाम दिया गया था।
- आयुष/ AYUSH भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है।

आयुष मंत्रालय की उपलब्धियां

- आयुष अवसंरचना का विस्तार: राष्ट्रीय आयुष संस्थानों (दिल्ली, गोवा और गाजियाबाद) में 3 अत्याधुनिक सैटेलाइट सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, देश भर में 3,844 आयुष अस्पतालों की स्थापना की गई है।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: आयुष ग्रिड, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं।
- ग्लोबल आउटरीच: भारत और WHO के बीच डोनर एग्रीमेंट, भारत व मलेशिया के बीच आयुर्वेद पर समझौता, आयुष वीज़ा जैसी पहलें वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में आयुष के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती हैं।
  - इसके अलावा, विश्व स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और एकीकृत करने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2014 में 21 जून (ग्रीष्म अयनांत) का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
- आर्थिक प्रभाव: आयुष बाजार 2014 के 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया था। इसी अवधि में आयुष निर्यात 1.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना होकर 2.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।

आयुष के सामने चुनौतियां

- वैज्ञानिक मान्यता का अभाव,
- शिक्षा और चिकित्सकों की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे,
- आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण का अभाव,
- जागरूकता की कमी आदि।

आयुष को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- राष्ट्रीय आयुष मिशन (2014): यह आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): आयुष क्षेत्रक में 100% FDI की अनुमति दी गई है।
- भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग: इसकी स्थापना आयुष शिक्षा में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
- आयुर्ज्ञान (AYURGYAN) योजना: इसका उद्देश्य आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में क्षमता बढ़ाना और विकसित करना है।

ऑक्सफोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार प्रगति प्लेटफॉर्म डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से समय पर अवसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित करने में क्रांतिकारी साबित हुआ है

इस अध्ययन में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने में प्रगति (PRAGATI) प्लेटफॉर्म की सफलता की प्रशंसा की गई है।

- इसमें दावा किया गया है कि प्रगति प्लेटफॉर्म उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नौकरशाही की जड़ता को समाप्त करने के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है।

रिपोर्ट में रेखांकित प्रगति प्लेटफॉर्म के प्रभाव

- आर्थिक प्रभाव: इसने भूमि अधिग्रहण और मंत्रालयों के बीच समन्वय से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया है। इससे परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है और परियोजना में देरी से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सका है।
  - यह प्लेटफॉर्म दर्शाता है कि अवसंरचना में लक्षित निवेश और प्रभावी गवर्नेंस से मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है।
- सामाजिक प्रभाव: यह प्लेटफॉर्म अविकसित और दूरदराज के क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिली है।
- पर्यावरण पर प्रभाव: योजना बनाने में संधारणीयता को शामिल करने, पर्यावरणीय मंजूरी में तेजी लाने और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से परियोजनाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिली है।
  - उदाहरण के लिए- प्रगति प्लेटफॉर्म परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परिवेश पोर्टल के साथ मिलकर काम कर रहा है।
- पॉजिटिव गवर्नेंस: प्रगति प्लेटफॉर्म ने प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने और सुशासन सुनिश्चित करने में मदद की है।
  - उदाहरण के लिए- असम में बोगीबील रेल और सड़क पुल का निर्माण पूरा किया जा सका है। इससे पहले इसके क्रियान्वयन में देरी हो रही थी।

प्रगति (PRAGATI) प्लेटफॉर्म के बारे में:

- प्रगति से आशय है- प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन।
- शुरुआत: इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 2015 में शुरू किया गया था।
- कार्यान्वयन एजेंसी: प्रधान मंत्री कार्यालय।
- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाना: परियोजना की रियल टाइम आधार पर निगरानी के लिए OSF डिजिटल तकनीक की सहायता ली जाती है।
    - उदाहरण के लिए- यह प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम डेटा, ड्रोन फ़ीड जैसी तकनीकों का लाभ उठाता है।
  - सहयोग करना: अलग-अलग सरकारी एजेंसियों की भागीदारी से प्रशासनिक विभागों को अपने स्तर पर अलग-थलग कार्य करने की बजाय समन्वय में कार्य करने पर जोर दिया जाता है।
  - ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही सुनिश्चित करना: शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद है।

अन्य सुर्ख़ियां

किसान पहचान-पत्र

केंद्र सरकार ने राज्यों को किसानों के समावेशी, दक्ष और त्वरित पंजीकरण की सुविधा के लिए 'कैंप-मोड अप्रोच' अपनाने की सलाह दी है।

किसान पहचान-पत्र के बारे में

- यह आधार नंबर से जुड़ा हुआ विशिष्ट डिजिटल पहचान-पत्र है। यह संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड से भी जुड़ा हुआ है।
  - इसके अलावा, इसमें किसानों की जनसांख्यिकी, बोई गई फसल और स्वामित्व विवरण जैसी जानकारी भी उपलब्ध होती है।
- यह पहचान-पत्र 'किसान रजिस्ट्री' का आधार बनेगा। किसान रजिस्ट्री, 'एग्री स्टैक' की तीन रजिस्ट्रियों में से एक है।
  - एग्री स्टैक, डिजिटल कृषि मिशन का एक घटक है। इस मिशन का एक अन्य घटक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है
  - एग्रीस्टैक के 3 डेटाबेस हैं:
    - किसान रजिस्ट्री (Farmers' Registry);
    - भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र (Geo-referenced Village Maps); और
    - फसल बुआई रजिस्ट्री (Crop Sown Registry)।

माधव राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के नवीनतम टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है।

- NTCA प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत किया गया था।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- अवस्थिति: यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवपुरी जिले (ऊपरी विंध्य पर्वत) में स्थित है।
- पृष्ठभूमि:
  - यह क्षेत्र मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं की शिकारगाह था। आजादी के बाद 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था।
- जीव-जंतु: बाघ, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर आदि।
- वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन के साथ-साथ शुष्क कांटेदार वन भी पाए जाते हैं।
- अन्य विशेषता: इस राष्ट्रीय उद्यान में साख्य सागर और माधव सागर नामक दो झीलें हैं।
  - मड़ीखेड़ा बांध उद्यान के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है।

विंडफॉल टैक्स

केंद्र सरकार ने कच्चे तेल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है।

विंडफॉल टैक्स के बारे में

- सरकार उन उद्योगों पर विंडफॉल टैक्स लगाती है जो अनुकूल आर्थिक स्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ कमाते हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत ने विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद जुलाई 2022 में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स लगाया था।
- सरकार उस अतिरिक्त लाभ पर लगाए गए कर से अर्जित राजस्व का उपयोग सरकारी परियोजनाओं को फंड देने, घाटे को कम करने या धन को पुनर्वितरित करने के लिए करती है।

सैटन-2

रूस अपनी RS-28 सरमत अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने के लिए तैयार है। इस मिसाइल को 'सैटन-2' नाम दिया गया है।

'सैटन-2' के बारे में

- यह अगली पीढ़ी की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है। इसे विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों में से एक माना जाता है।
- यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स (MIRVs) से लैस है। यह क्षमता इसे एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाती है।
- इस मिसाइल की मारक क्षमता 10000- 18,000 कि.मी. है। यह 10 टन वजनी पेलोड ले जा सकती है।

ICIMOD द्वारा वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) ने एक वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड का अनावरण किया है।

वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड के बारे में:

- यह स्थानीय, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पैमाने पर वायु प्रदूषण की एक व्यापक तस्वीर पेश करता है। इस कार्य के लिए यह सैटेलाइट इमेजरी के साथ ग्राउंड सेंसर डेटा को एकीकृत करता है।
- यह रसायन विज्ञान के साथ मिलकर मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल (WRF-chem) द्वारा संचालित है।
- यह मॉडल लाहौर, नई दिल्ली और कोलकाता जैसे हॉटस्पॉट्स सहित संपूर्ण क्षेत्र में PM2.5 की सांद्रता का खुलासा करता है।

PM 2.5 और PM 10 के बारे में

- PM10: वे कण हैं, जिनका व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम होता है।
- PM2.5: ऐसे कण हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में लगभग 2 बिलियन डॉलर का वित्तीय योगदान दिया है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बारे में

- स्थापना: इसे आधिकारिक तौर पर 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देशों ने ब्राजील के फ़ोर्टालेज़ा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था।
  - उस समय ब्रिक्स के सदस्य थे- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बन सकते हैं।
- उद्देश्य: यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों (EMDC) में अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है।
- पूंजी: बैंक की आरंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर है।
  - शुरुआती सब्सक्राइब्ड पूंजी 50 बिलियन डॉलर थी। इसमें बैंक के सभी संस्थापक सदस्यों ने समान अनुपात में योगदान दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (IDPD)

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (IDPD) हर साल 3 दिसंबर को आयोजित किया जाता है।

- इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 47/3 द्वारा घोषित किया गया था।
- 2024 के दिवस की थीम है "समावेशी और संधारणीय भविष्य के लिए दिव्यांगजनों (PwDs) के नेतृत्व को बढ़ावा देना।"

दिव्यांगजन के बारे में

- दिव्यांगजन शब्दावली को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwDA) में परिभाषित किया गया है।
- विश्व की 16% आबादी यानी 6 में से 1 व्यक्ति दिव्यांगजन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी में 2.21% यानी 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं।

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भारत की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- सुगम्य भारत अभियान,
- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS),
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए योजनाएं,
- पीएम-दक्ष/DAKSH (प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही) योजना।

हरिमाऊ शक्ति 2024

भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हरिमाऊ शक्ति 2024' मलेशिया में शुरू हुआ।

हरिमाऊ शक्ति के बारे में

- यह सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित होता है।
  - 2023 में यह अभ्यास भारत के मेघालय राज्य में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था।
- उद्देश्य: वनों में आतंकवाद-रोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

सीरिया (राजधानी: दमिश्क)

- हाल ही में, उग्रवादी विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है।

भौगोलिक अवस्थिति:

- सीरिया दक्षिण-पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर अवस्थित है।
- सीमाएं: इसके उत्तर में तुर्की; पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व में इराक; दक्षिण में जॉर्डन; तथा दक्षिण-पश्चिम में इजरायल एवं लेबनान स्थित हैं।
  - इजरायल ने 1967 में हुए छह दिवसीय युद्ध में सीरिया से गोलन हाइट्स को छीन लिया था।
- महत्वपूर्ण शहर: दमिश्क (बरादा नदी के किनारे), होम्स, पलमायरा आदि।

भौगोलिक विशेषताएं:

- जलवायु: सीरिया के अधिकतर भागों में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है।
- पर्वत श्रृंखलाएं: एंटी-लेबनान (सीरिया और लेबनान को अलग करती है), अल-अंसारियाह आदि।
- उच्चतम बिंदु: माउंट हर्मन।
- प्रमुख नदियां: यूफ्रेट्स, टिग्रिस, ओरोंटेस आदि।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची